-प्रेस नोट-

दिनांकः12.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बनाते 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से शराब बनाने के उपकरण (01 सिलेण्डर, 01 चूल्हा, 01 खाली ड्रम, 01 तस्ला, 01 मग, 02 लीटर की खाली बोतल) व 100 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से शराब निर्माण/बिक्री/तस्करी आदि की रोकथाम व शराब के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बड़गांव पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान अवैध रूप से शराब बनाने वाले 02 शातिर **अभियुक्तगण 1- शुभम पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम धूमगढ थाना बडगांव जिला सहारनपुर व 2- राजेन्द्र पुत्र श्याम कुमार निवासी ग्राम धूमगढ थाना बडगांव जिला सहारनपुर** को जंगल ग्राम धूमगढ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध रूप से शराब बनाने के उपकरण () व 100 लीटर कच्ची शराब खाम व लहन बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तो के विरूद्ध थाना बड़गाँव पर मु0अ0सं0 232/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोगो के पास कुछ काम नही है। हम लोग अपना खर्चा चलाने व पैसा कमाने के लालच में चोरी छिपे शराब बनाकर बेचने का काम करते है। जिसमें हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

1- शुभम पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम धूमगढ थाना बडगांव जिला सहारनपुर
2- राजेन्द्र पुत्र श्याम कुमार निवासी ग्राम धूमगढ थाना बडगांव जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 100 लीटर कच्ची शराब
- 01 बोतल लहन बतौर नमूना
- शराब बनाने के उपकरण (सेलेण्डर, चूल्हा, खाली ड्रम, तस्ला, एक मग, दो लीटर की खाली बोतल)

अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 173/22 धारा 147/148/149/307/323/325/392/452/504/506 भादवि थाना बडगांव
2- मु0अ0सं0 178/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडगांव जिला सहारनपुर
3- मु0अ0सं0 232/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1- उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- हे0कां0 229 राज तोमर थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 12.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की साइकिल सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.10.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान साइकिल चोर/**अभियुक्त जावेद पुत्र शब्बीर निवासी जनकनगर तकिया थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को रेलवे क्वाटर के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी साइकिल बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर म0अ0स0 589/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त जावेद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशा करने का आदी हूँ और नशे की पूर्ति के लिए मौका पाकर छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ। साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 08.10.2024 को आर्य कन्या इण्टर कालेज के सामने से दोपहर के वक्त मैने यह साइकिल चोरी कर ली थी और साइकिल अपने घर लेकर चला गया था । इस साइकिल को बेचने की बहुत कोशिश की पर कोई खरीदार नही । आज भी मै साइकिल लेकर घूम रहा था और किसी राहगीर को सस्ते दामो में बेच दूंगा । लेकिन पुलिस ने मुझे पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जावेद पुत्र शब्बीर निवासी जनकनगर तकिया थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. का0 616 अमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. है0का0 703 निर्मल सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

दिनांकः 12.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने मामले में महिला अभियुक्ता सहित कुल 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 100 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से शराब निर्माण/बिक्री की रोकथाम व शराब के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने के मामले में 02 **अभियुक्तगण 1.बलराम पुत्र सिमरु निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 2.सोनिया पत्नी बिन्दू निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को शेरपुर पैलो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 100 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 171/24 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम** के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोगो के पास कुछ काम नही है। हम लोग अपना खर्चा चलाने व पैसा कमाने के लालच में चोरी छिपे शराब बनाकर बेचने का काम करते है। जिसमें हम लोगो को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. बलराम पुत्र सिमरु निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. सोनिया पत्नी बिन्दू निवासी ग्राम शेरपुर पैलो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभि0 बलराम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 137/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0स0 156/2020 धारा 188/269 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

100 लीटर कच्ची शराब

शराब बनाने के उपकरण बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. म0उ0नि0 रश्मि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 सोनू कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 214 उदित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. का0 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

दिनांकः 12.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 20 घण्टे में ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी ई-रिक्शा बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 11.10.2024 को वादी दिलशाद पुत्र शगीर निवासी मो0 कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा कस्बा नानौता के संजय चौक देवबन्द रोड से वादी की ई-रिक्शा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 236/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व चोर/नकबजन/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार गश्त/चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करके मात्र 20 घण्टे में ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 चोर/**अभियुक्त फरीद पुत्र असगर नि0 मौ0 मनिहारन कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को तीतरों मोड गंगोह रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा बिना नम्बर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं बेरोजगार हूँ। मुझे पैसो की जरुरत थी। मैने संजय चौक देवबन्द रोड पर खडी इस ई रिक्शा को चुरा लिया था और आज इसे बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फरीद पुत्र असगर निवासी मौहल्ला मनिहारन कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 ई-रिक्शा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 597 मोहसीन खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. हो0गा0 2030 जीशान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः12.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना एन्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रचलित मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.10.2024 को थाना चिलकाना एन्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा बाजार गस्त व चैकिंग के दौरान **01 मनचला अभियुक्त रिंकु पुत्र टिटू नि0 मौ0 खेडावाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** को मैन बाजार कस्बा चिलकाना में बाजार में आने जाने लडकियो से अश्लील फाब्तिया करने के जुर्म में से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0- 229/2024 धारा- 296 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिंकु पुत्र टीटू निवासी मौ0 खेडावाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. म0उ0नि0 रश्मि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 रश्मि कुमारी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. म0का0 1451 विनिता थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर